

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 13/2021-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 309 (अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,---

(i) नियम 36 के उपनियम (4) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई, 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”;

3. नियम 59 के उपनियम (2) में, निम्न परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।

[फ़ा.सं. सीबीईसी 20/06/08/2020-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), के तहत और अंतिम संशोधित नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 7/2021 - केंद्रीय कर, 27 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 292(अ), के तहत प्रकाशित गए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2021

No. 13/2021 – Central Tax

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017,---

(i) in sub-rule (4) of rule 36, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

(ii) in sub-rule (2) of rule 59, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till the 28th day of May, 2021.”.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 07/2021 - Central Tax, dated the 27th April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 292 (E), dated the 27th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2021

सं. 14/2021 - केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 310(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोविड-19 के चलते यह अधिसूचित करती है कि -

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से मई, 2021 के 30 वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी -

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है -

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, परन्तु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा